न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –889 / 2024

अनवान : –

1. श्री गौशाला नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ जरिये कैशियर श्रवण कुमार पुत्र नत्थुराम जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर।

––वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

–– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 10/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 381 / 172 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 28.4540 है0 भूमि में से 4187 / 28428 हिस्सा भूमि मृतक मनोहरलाल पुत्र परमाराम जाति ब्राह्मण निवासी नीमला तहसील नोहर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

मनोहरलाल पुत्र परमाराम का दिनांक 14.08.2001 को स्वर्गवास हो चुका है मनोहरलाल पुत्र परमाराम ने अपने जीवन काल में दिनांक 22.07.1999 को अपनी धार्मिक भावना की पूर्ति के लिए एक वसीयत की थी जिसके अनुसार रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खसरा नं. 93, 94, 95, 243, 246, 247 की कुल 135 बीघा भूमि में से 16–8 / 20 हिस्सा यानी 16 बीघा 8 बिस्वा भूमि यानी उक्त खाते की अपनी समस्त भूमि की वसीयत श्री गौशाला नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के पक्ष में करवाई थी। मनोहरलाल पुत्र परमाराम की यह पहली व अंतिम वसीयत थी जो वसीयतकर्ता ने अपने होश हवास के साथ दो गवाह कन्हैयालाल पुत्र गोपालचन्द महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर व मालचन्द पुत्र दीपचन्द पांडिया निवासी नोहर तहसील नोहर की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर वसीयतकर्ता ने अपने हस्ताक्षर दर्ज किये थे तथा वसीयत उप पंजीयन नोहर से दिनांक 14.09.1999 को पंजीकृत है। उपरोक्त वयीयत भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद [illegible] है तथा मनोहरलाल पुत्र परमाराम के देहान्त के बाद वसीयत भूमि पर [illegible] आ रही है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है [illegible] विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा कि जावें की उक्त वाद भूमि का मुताबिक वसीयत वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया । वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाहन श्री मालचन्द पुत्र दीपचन्द पांडिया निवासी नोहर ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वसीयत सही है जिस पर वसीयतकर्ता ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है। वसीयतकर्ता का देहांत हो चुका है एवं उक्त वाद भूमि बाबत कोई विवाद नही है तथा वसीयतकर्ता के देहांत के बाद वाद भूमि पर वसीयतग्रहिता काबिज है। वसीयत के संबंध में श्री नन्दलाल शर्मा पुत्र श्री शिवभगवान जाति ब्राहमण निवासी नोहर, श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी पुत्र श्री चानणराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर, श्रवण कुमार पुत्र नत्थुराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर ने शपथ पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा निमला सम्वत 2072–75 खाता संख्या 381/172, मृत्यु प्रमाण पत्र कन्हैलयालाल, चित्रप्रति वसीयतनामा पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मनोहरलाल पुत्र परमाराम का दिनांक 14.08.2001 को स्वर्गवास हो चुका है मनोहरलाल पुत्र परमाराम ने अपने जीवन काल में दिनांक 22.07.1999 को अपनी धार्मिक भावना की पूर्ति के लिए एक वसीयत की थी जिसके अनुसार रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खसरा नं. 93, 94, 95, 243, 246, 247 की कुल 135 बीघा भूमि में से 16–8/20 हिस्सा यानी 16 बीघा 8 बिस्वा भूमि यानी उक्त खाते की अपनी समस्त भूमि की वसीयत श्री गौशाला नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के पक्ष में करवाई थी। मनोहरलाल पुत्र परमाराम की यह पहली व अंतिम वसीयत थी जो वसीयतकर्ता ने अपने होश हवास के साथ दो गवाह कन्हैयालाल पुत्र गोपालचन्द महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर व मालचन्द पुत्र दीपचन्द पांडिया निवासी नोहर तहसील नोहर की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर वसीयतकर्ता ने अपने हस्ताक्षर दर्ज किये ... पंजीयन नोहर से दिनांक 14.09.1999 को पंजीकृत है। उपरोक्त वसीयत भूमि ... का कोई विवाद व स्थगन आदि नहीं है तथा मनोहरलाल पुत्र परमाराम के देहांत के बाद वसीयत भूमि पर श्री गौशाला नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काबिज चला आ रही है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है अतः मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 381/172 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 28.4540 है0 भूमि में से 4187/28428 हिस्सा भूमि मृतक मनोहरलाल पुत्र परमाराम जाति ब्राह्मण निवासी नीमला तहसील नोहर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक वसीयत मनोहरलाल पुत्र परमाराम ने अपने जीवन काल में दिनांक 22.07.1999 श्री गोशाला नोहर के पक्ष में तहरीर करवाई गई है। वसीयत के श्री मालचन्द पुत्र दीपचन्द पांडिया निवासी नोहर ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वसीयत सही है जिस पर वसीयतकर्ता ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है। वसीयत के संबंध में श्री नन्दलाल शर्मा पुत्र श्री शिवभगवान जाति ब्राहमण निवासी नोहर, श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी पुत्र श्री चानणराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर, श्रवण कुमार पुत्र नत्थुराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर द्वारा भी शपथ पत्र पेश किये गये है। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार कन्हैयालाल पेड़ीवाल का देहांत हो चुका है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 381/172 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 28.4540 है0 भूमि में से 4187/28428 हिस्सा भूमि में मृतक मनोहरलाल पुत्र परमाराम का नाम कलमजन किया जाकर श्री गौशाला नोहर तहसील नोहर को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:40 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –889/2024

अनवान : –

1. श्री गौशाला नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ जरिये कैशियर श्रवण कुमार पुत्र नत्थुराम जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

—— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 889 सन 2024 निर्णय दिनांक - 10/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 381/172 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 28.4540 है0 भूमि में से 4187/28428 हिस्सा भूमि में मृतक मनोहरलाल पुत्र परमाराम का नाम कलमजन किया जाकर श्री गौशाला नोहर तहसील नोहर को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:40 IST
Reason: SelfAttested